दैनिक भास्कर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, शनिवार, 8 अगस्त, 2026 |20

कार्यक्रम • नगर परिषद सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला, अधिकारियों और कॉलोनाइजरों को पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क व समय-सीमा की दी जानकारी

18 माह में जिले की 150 कॉलोनियां रेरा में रजिस्टर्ड, समझाए प्रोजेक्ट पंजीकरण के नियम

भास्कर संवाददाता | हनुमानगढ़

नगर परिषद सभागार में शुक्रवार को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत गुप्ता ने की। इसमें नगरीय निकाय, हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों, कॉलोनाइजरों और विकासकर्ताओं को रेरा अधिनियम के प्रावधानों, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और समय-सीमा की जानकारी दी गई। रेरा अधिकारियों ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष में हनुमानगढ़ जिले से 150 आवासीय, वाणिज्यिक एवं मिश्रित परियोजनाएं रेरा में पंजीकृत हुई हैं।

इसे जिले में रेरा के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत बताया गया। कार्यशाला में रेरा के तन्मय गोयल, एटीपी निखिल नेहरा, कनिष्ठ विधि सहायक प्रांजल मोदी, रावतसर ईओ शैलेंद्र गोदारा, जिले की सभी नगरपालिका ईओ, तकनीकी अधिकारी तथा रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मुकेश भार्गव, ओम सोनी सहित कॉलोनाइजर एवं विकासकर्ता मौजूद रहे।

लाइव- सवालों के विशेषज्ञों ने दिए जवाब, कानूनी शंकाओं का किया समाधान

रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने परियोजनाओं के रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क, जरूरी दस्तावेज, समय-सीमा और नियमों के उल्लंघन पर लागू प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना, खरीदारों के हितों की रक्षा करना और विकासकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं के बीच विश्वास कायम करना है। स्थानीय निकायों और कॉलोनाइजरों से रेरा के नियमों की पालना का आह्वान किया। कार्यशाला में अधिकारियों और विकासकर्ताओं ने रेरा से जुड़े विभिन्न विषयों पर सवाल रखे। विशेषज्ञों ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। अंत में रेरा अधिकारियों ने स्थानीय निकायों से भविष्य में भी समन्वय के साथ काम करने तथा आमजन को रेरा के नियमों के प्रति अधिक जागरूक करने का आह्वान किया। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होगा।

नॉलेज- 500 वर्ग मीटर से अधिक का प्रोजेक्ट रेरा पंजीकरण जरूरी: जो भी स्कीम 500 वर्गमीटर से अधिक या 8 से अधिक अपार्टमेंट/यूनिट हैं जोकि मार्केटिंग या विक्रय के लिए है वह प्री-लॉन्च व बुकिंग से पहले रेरा में पंजीकृत होनी आवश्यक है। रेरा में पंजीकरण के बाद प्रोजेक्ट आईएसआई ब्रांड के रूप में उभरता है क्योंकि इससे लोगों में सुविधाओं और विकास के प्रति निजी डेवल्पर्स, सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए नगरीय निकायों की जवाबदेही तय होती है।

इनसाइट- रेरा पंजीकरण में जयपुर टॉप पर, श्रीगंगानगर चौथे और हनुमानगढ़ 9 वें नंबर पर

रेरा पंजीकरण में जयपुर टॉप पर है। टॉप-5 जिलों में श्रीगंगानगर शामिल है। राजस्थान के 41 जिलों में कुल 5165 रेरा पंजीकृत परियोजनाओं में से जयपुर की 45 फीसदी हैं जबकि शीर्ष पांच जिले जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और अलवर सभी पंजीकृत योजनाओं का 72 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं। जयपुर में अब तक 2313, जोधपुर 412, कोटा 367, श्रीगंगानगर 335, सीकर 295, अलवर 267, उदयपुर 223, अजमेर 193, हनुमानगढ़ 150, भीलवाड़ा 115, बीकानेर 75, सिरोही 45, नागौर 42, बाड़मेर 35, झालावाड़ 37, पाली 51, राजसमंद 24, चित्तौड़गढ़ में 19 प्रोजेक्ट ही रेरा में रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं, जो नियमानुसार कॉलोनियां पंजीकृत नहीं हैं उनकी रेरा ने नगरीय निकायों से डिटेल मांगी है जिनका क्रॉस वेरीफिकेशन किया जा रहा है।